



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267356
CG-DL-E-04112025-267356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4822]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 4822]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

का.आ. 4977(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इससे पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के धुळे जिले में NH-753BE के कि.मी. 59.000 से कि.मी.108.600 (शिरपूर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-विभागीय अधिकारी, शिरपूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के धुळे जिले में NH-753BE के कि.मी. 59.000 से कि.मी. 108.600 (शिरपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: धुळे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शिरपुर					
गांव का नाम: जवखेडा					
1	88	सामान्य	कृषि/पाटचारी	0.8605 (हेक्टेयर)	0.8605
2	89	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
गांव का नाम: नवे भामपूर (नवे भामटे)					
3	36	निजी	कृषि	1.473 (हेक्टेयर)	1.473
4	37	निजी	कृषि	0.2815 (हेक्टेयर)	0.2815
5	38	सामान्य	कृषि/पाटचारी	1.5725 (हेक्टेयर)	1.5725
6	39	निजी	कृषि/ गैर कृषि	0.2105 (हेक्टेयर)	0.2105
7	40	निजी	कृषि	0.867 (हेक्टेयर)	0.867
8	45	सामान्य	कृषि/पाटचारी	0.5575 (हेक्टेयर)	0.5575
9	47	सामान्य	कृषि/पाटचारी	0.6945 (हेक्टेयर)	0.6945
10	48	निजी	कृषि	0.2625 (हेक्टेयर)	0.2625
11	49	सामान्य	कृषि/ गैर कृषि	0.8615 (हेक्टेयर)	0.8615
12	50	निजी	कृषि	0.4495 (हेक्टेयर)	0.4495
13	51	निजी	कृषि	0.484 (हेक्टेयर)	0.484
14	52	सामान्य	कृषि/पाटचारी	0.2875 (हेक्टेयर)	0.2875
15	53	सामान्य	कृषि/पाटचारी	0.066 (हेक्टेयर)	0.066

16	54	सामान्य	कृषि/पाटचारी	0.701 (हेक्टेयर)	0.701
17	55	निजी	कृषि	0.142 (हेक्टेयर)	0.142
18	59/A/1	निजी	कृषि	0.9875 (हेक्टेयर)	0.9875
19	59/B/1	निजी	कृषि	0.6915 (हेक्टेयर)	0.6915
20	68	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
21	69	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
22	96	निजी	कृषि	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
23	Nala	सरकारी	नाला	0.246 (हेक्टेयर)	0.246
24	Road	सरकारी	सड़क	0.1705 (हेक्टेयर)	0.1705
Total					11.9155

[फा. सं. NHAI/PIU-JAL/NH753BE/2023-24/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2025

S.O. 4977(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, (widening/two lane with paved shoulder/four laning of NH-753BE in the stretch of land from Km. 59.000 to Km. 108.600 (Shirpur) in the district of DHULE in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority (NH-753BE) namely, Sub-Divisional Officer, Shirpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-753BE in the stretch of land from Km. 59.000 to Km. 108.600 (Shirpur) in the district of DHULE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: DHULE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shirpur					

Village: Javkhede					
1	88	Common	Agriculture / Canal	0.8605 (Hectare)	0.8605
2	89	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
Village: New Bhampur (New Bhamte)					
3	36	Private	Agriculture	1.473 (Hectare)	1.473
4	37	Private	Agriculture	0.2815 (Hectare)	0.2815
5	38	Common	Agriculture/Canal	1.5725 (Hectare)	1.5725
6	39	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.2105 (Hectare)	0.2105
7	40	Private	Agriculture	0.867 (Hectare)	0.867
8	45	Common	Agriculture/Canal	0.5575 (Hectare)	0.5575
9	47	Common	Agriculture / Canal	0.6945 (Hectare)	0.6945
10	48	Private	Agriculture	0.2625 (Hectare)	0.2625
11	49	Common	Agriculture /Non Agriculture	0.8615 (Hectare)	0.8615
12	50	Private	Agriculture	0.4495 (Hectare)	0.4495
13	51	Private	Agriculture	0.484 (Hectare)	0.484
14	52	Common	Agriculture / Canal	0.2875 (Hectare)	0.2875
15	53	Common	Agriculture / Canal	0.066 (Hectare)	0.066
16	54	Common	Agriculture / Canal	0.701 (Hectare)	0.701
17	55	Private	Agriculture	0.142 (Hectare)	0.142
18	59/A/1	Private	Agriculture	0.9875 (Hectare)	0.9875
19	59/B/1	Private	Agriculture	0.6915 (Hectare)	0.6915
20	68	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
21	69	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
22	96	Private	Agriculture	0.019 (Hectare)	0.019
23	Nala	Government	Nala	0.246 (Hectare)	0.246
24	Road	Government	Road	0.1705 (Hectare)	0.1705
Total					11.9155

[F. No. NHAI/PIU-JAL/NH753BE/2023-24/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director